कार्यालय : निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

पत्रांक/ 29893-94 /प्रा0शि0–चयन (स0अ0प्रा0वि0) /2015–16 दिनांक: 17 फरवरी, 2016

विस्तृत विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों हेतु सहायक अध्यापक का चयन

(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय परिसर ननूरखेड़ा देहरादून के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 05 मार्च, 2016)

शासनादेश संख्याः 149/XXIV(1)/2014–28/2010 शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांक 31 जनवरी, 2014 में दी गई व्यवस्था एवं उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 (यथा संशोधित नियमावली) के प्राविधानों के क्रम में राज्य में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्राथमिक एवं सहायक अध्यापक, प्राथमिक (उर्दू) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राज्य स्तरीय चयन के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं।

आवेदन करने हेतु अनिवार्य अर्हतायें:–

(1) शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता :–

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें निम्नवत् है :–

(i) (क) सहायक अध्यापक, प्राथमिकः–

भारत में विधि द्वारा स्थापित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, जो विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त हो, से स्नातक की उपाधि तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा)/डी0एड0 (विशेष शिक्षा) अर्हता प्राप्त की हो।

(ख) सहायक अध्यापक, प्राथमिक (उर्दू):–

भारत में विधि द्वारा स्थापित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, जो विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त हो, से स्नातक (मुख्य विषय उर्दू) अथवा उर्दू भाषा में परास्नातक की उपाधि तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा)/डी0एड0 (विशेष शिक्षा) अर्हता प्राप्त की हो।

(ii) उत्तराखण्ड सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा–1 से 5 के शिक्षको हेतु आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.–I) उत्तीर्ण।

(2) अभ्यर्थी की आयु :–

(क). उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति हेतु 01 जुलाई, 2015 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए।

(ख). **अधिकतम आयु सीमा में छूट** : (1) शा0स0–1399/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई 2005 के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासी /अधिवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(2) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, परन्तु किसी भी दशा में निर्धारित तिथि को 50 वर्ष से अधिक आयु का अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। (शासनादेश संख्या–1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10 नवम्बर, 2010)।

(3) उत्तराखण्ड स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (शासनादेश संख्या–1244/XXX(2)/2005 दिनांकः 21 मई 2005)

(4) उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकं को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु उस पद/सेवा के निमित्त, जिसके लिये यह नियुक्ति का इच्छुक हो, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (नियमावली 1977 के अनुसार)

नोटः– जो अभ्यर्थी आयु में उक्त छूट का दावा करेंगे वे नियुक्ति प्राधिकारी को तत्संबन्धी प्रमाण पत्र भी अवश्य प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य नहीं होगी। साथ ही उक्त अभ्यर्थी आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित करें अन्यथा आयु सीमा में छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(3) राष्ट्रीयता एवं निवास :–

(क) अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

(ख) उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व पंजीकृत/नवीनीकृत हो।

(4) आरक्षण :–

(क). **ऊर्ध्व आरक्षणः**– उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जन जाति तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। (शा0सं0 1144/कार्मिक–2– 2001–53(1)/2001, दिनांकः 18 जुलाई, 2001 तथा शा0सं0 254/कार्मिक–2/2002, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002)

(ख). **क्षैतिज आरक्षणः**– (1) उत्तराखण्ड राज्य के शारीरिक रूप से विकलांग, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण {उत्तरप्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (यथा संशोधित)–अधि0सं0 133/XXXVI(3)/2009/14(1)/2009 के प्राविधानों तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

(2) पूर्व सैनिक से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो– (एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गयी है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैः–(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोट :– पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य

नहीं है।

(3) "शारीरिक रूप से विकलांग" शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों हेतु शासनादेश संख्या–196/XVII-2/2011–29(स0क0)/2003 दिनांक 25.03.2011 के अनुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(4) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

(5) उत्तराखण्ड की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण शानसादेश संख्या–1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 शासनादेश संख्या–589/कार्मिक–2/2002 दिनांक 21 जुलाई 2002 तथा शासनोदश संख्या–1966/XXX(2)/2006 दिनांक 24 जुलाई, 2006 एवं शासनादेश संख्या–686/XXX(2)/2011 दिनांक 29 अगस्त, 2011 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

नोट :– यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है, तो वह केवल एक श्रेणी का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ग). **बैकलॉग की पूर्तिः** विज्ञापित किये जाने वाले पदों के सापेक्ष बैकलॉग के पदों की आंशिक पूर्ति भी की जायेगी।

(5) वैवाहिक प्रास्थिति :–

सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया है, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

(6) चरित्र :–

चयन के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे कि वह चयन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवायोजन के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

(7) आवेदन की प्रक्रिया :–

(क) जनपद के जिलाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अधिवास प्रमाण पत्र चयन के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र में सभी आवश्यक सूचनाऐं अंकित करनी होगी।

(ग) आवेदन पत्र का प्रारूप उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा के वैब साइट **www.school education.uk.in** पर उपयोगार्थ उपलब्ध होगा, जिसे A–4 साइज के पेपर पर डाउनलोड किया जा सकेगा। समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति से भी आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त किया जा सकेगा। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय परिसर, ननूरखेड़ा देहरादून के पते पर इस प्रकार प्रेषित करेंगे कि प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र अन्तिम **तिथि 05 मार्च, 2016** के सायं 5.00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त हो जाय। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से **सहायक अध्यापक, प्राथमिक अथवा सहायक अध्यापक, प्राथमिक (उर्दू) हेतु आवेदन पत्र, वर्ग (विज्ञान/विज्ञानेत्तर) तथा जाति व क्षैतिज आरक्षण कोड को अवश्य अंकित किया जाये।** निर्धारित अन्तिम तिथि (05 मार्च, 2016) एवं समयावधि (सायं 5.00 बजे तक) के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा। डाक विलम्ब के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी

नहीं होगी। साधारण डाक/कोरियर/दस्ती आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन पत्र में अपूर्ण प्रविष्टि एवं वांछित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न न होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(घ) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो सूचनाएं अंकित की जायेंगी, उससे भिन्न सूचनाएं तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों से इतर प्रमाण पत्र को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र प्रेषण की अन्तिम तिथि के पश्चात् निर्गत कोई भी आवश्यक एवं अधिमानी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में जनपद का विकल्प प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र पर अंकित सूचनाओं के आधार पर चयन समिति द्वारा प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता एवं अर्जित गुणांकों की श्रेष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों के विकल्पानुसार जनपद आवंटित किये जायेगे।

(ङ) सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क ₹ 500/– तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियें के लिए ₹ 250/– निर्धारित है। शुल्क अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में देय होगा। बैंक ड्राफ्ट मूलरूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(च) विकलांग अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा तथा उन्हें नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलागंता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करना होगा।

(छ) राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक, समान विज्ञापित पद होने के कारण नवीनं नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होंगे।

(ज) पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्र की छायाप्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

(झ) आवेदन पत्र की त्रुटिपूर्ण अंकनाओं हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। त्रुटिपूर्ण, अस्पष्ट एवं अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

(8) चयन प्रकिया :–

समस्त चयन प्रक्रिया अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड देहरादून के पर्यवेक्षण/निर्देशन में संपादित की जायेगी। चयन प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता एवं गुणांकों की मेरिट के आधार पर किया जायेगा। गुणांकों की गणना निम्नवत् की जायेगी।

(क) अभ्यर्थियों के नाम उनकी शैक्षिक, प्रशिक्षण योग्यता एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्राप्त गुणांकों के योग के अनुसार प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता के अवरोही क्रम में रखे जायेंगे, परन्तु यदि दो अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण वर्ष एवं गुणांक समान हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी। गुणांकों की गणना निम्नवत् की जायेगी:–

क्रमांक	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणांक
01	हाईस्कूल	अंको का प्रतिशत×0.75 / 10
02	इण्टरमीडिएट	अंको का प्रतिशत×1.5 / 10
03	स्नातक	अंको का प्रतिशत×2.25 / 10
04	प्रशिक्षण–बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा)/ डी0एड0 (विशेष शिक्षा) क–सिद्धान्त	अंको का प्रतिशत×3 / 10
	ख–प्रयोगात्मक	अंको का प्रतिशत×1.5

		10
05	अध्यापक पात्रता परीक्षा (कक्षा 1 से 5 हेतु)	अंको का प्रतिशत×1 10

(ख) संयुक्त वरिष्ठता सूची राज्य स्तर पर तैयार की जायेगी और विकल्पानुसार अभ्यर्थियों को जनपद आवंटित किए जायेंगे।

(ग) जनपद में उपलब्ध कुल रिक्तियों के सापेक्ष (स0अ0 उर्दू की रिक्ति से इतर) 50 प्रतिशत विज्ञानेत्तर के तथा 50 प्रतिशत विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

(घ) अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र में, जो सूचनाएं अंकित होंगी, उन्हीं के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। आवेदन पत्र के साथ उत्तराखण्ड शासन द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा अथवा सी0टी0ई0टी0 (कक्षा 1 से 5 के लिए) उत्तीर्ण का अंक पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक परीक्षा/सहायक अध्यापक (उर्दू) के लिए आवेदन करने पर स्नातक (उर्दू मुख्य विषय), परास्नातक (उर्दू विषय) के अंक पत्र/प्रमाण पत्र एवं बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा)/डी0एड0 (विशेष शिक्षा) परीक्षा के अंक पत्र/प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र एवं सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण के प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित छाया प्रतियां एवं बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न की जायेंगी। श्रेणीवार पृथक–पृथक 25 प्रतिशत से अनधिक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी।

(ङ) विज्ञापन में आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक संबंधित अभ्यर्थी द्वारा समस्त निर्धारित अर्हताएं पूरी होनी चाहिए।

(च) चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थी को आवंटित जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को प्रेषित की जायेगी। तत्पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0), जनपद में स0अ0 रा0प्रा0वि0 के रिक्त पदों के सापेक्ष सम्बन्धित जनपद हेतु आंवटित चयनित अभ्यर्थियों की कांउसलिंग करेंगे। कांउसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों से रिक्ति अनुसार विकास खण्ड का विकल्प लिया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) चयनित अभ्यर्थियों के वरिष्ठता अनुसार उन्हें विकास खण्ड आवंटित करेंगे। तत्पश्चात चयनित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(छ) चयनित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन, नियुक्ति अधिकारी द्वारा अभिलेखों का निर्गमन करने वाली संस्थाओं से कराया जायेगा। सत्यापन में भिन्नता पाये जाने की दशा में चयन/जांच/नियुक्ति/प्रशिक्षण किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(9) **शारीरिक स्वस्थता** :– किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। चयनित अभ्यर्थी को जनपद आवंटन के पश्चात जनपद स्तर पर, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–एक भाग–दो के अध्याय–तीन में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार **स्वस्थता प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(10) **पेंशन** :– शासन की अधिसूचना संख्या–21/XXVII(7)/अं0पें0यो0/2005 दिनांक 15 अक्टूबर 2005 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के पेंशन के सम्बन्ध में **अंशदान पेंशन योजना** के प्राविधान लागू होंगे।

(11) छः माह का विशेष प्रशिक्षण :–

नियुक्ति के पश्चात् अभ्यर्थियों को छः माह के प्रशिक्षण पर सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में भेजा जायेगा, जिसमें से तीन माह का कियात्मक प्रशिक्षण अभ्यर्थी द्वारा अपने तैनाती वाले विद्यालय में ही प्राप्त करना होगा।

(12) राज्य स्तरीय चयन हेतु समितिः– चयन हेतु समिति निम्नवत् होगीः–

1. अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड– अध्यक्ष
2. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (निदेशक,अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा नामित) – सदस्य
3. संयुक्त निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड– सदस्य
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित अनुसूचित जाति एवं जनजाति का एक अधिकारी – सदस्य
5. उप निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड – सदस्य सचिव

(13) मौलिक नियुक्ति :–

राज्य स्तरीय चयन के पश्चात् अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(14) जनपदवार उपलब्ध सम्भावित रिक्तियों की संख्या (निम्न रिक्तियाँ घट/बढ़ भी सकती है) निम्नवत् है :–

क्रमांक	जनपद का नाम	उपलब्ध स0अ0 प्राथमिक के रिक्त पदों की संख्या	वर्ष 2014 में विज्ञापित पदो के सापेक्ष विकलांग श्रेणी के अग्रेनित पदों की संख्या	स0अ0 प्राथमिक (उर्दू) के रिक्त पदों की संख्या	योग
1	पौडी	20	1	3	24
2	चमोली	17	1	2	20
3	रूद्रप्रयाग	40	0	0	40
4	टिहरी	71	1	0	72
5	उत्तरकाशी	20	1	0	21
6	देहरादून	10	1	9	20
7	हरिद्वार	173	2	5	180
8	नैनीताल	82	0	4	86
9	अल्मोड़ा	65	4	2	71
10	बागेश्वर	6	1	1	8
11	चम्पावत	37	1	0	38
12	पिथौरागढ़	24	2	2	28
13	उधमसिंह नगर	44	1	0	45
	योग	609	16	28	653

(15) सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेवा विकास खण्ड संवर्ग सेवा है तथा सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति के पदों हेतु विषय संयोजन होना अनिवार्य है।

7/7/2016

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापक (उर्दू) के राज्य स्तरीय चयन (2016) हेतु आवेदन पत्र

(आवेदन पत्र अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा स्वयं स्वच्छ भरा जाय। कटिंग एवं ओवर्राइटिंग मान्य नहीं होगी। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार लिखी जाय। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट आवदेन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।)

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित फोटो चिपकाया जाय। हस्ताक्षर इस प्रकार से किये जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग फोटो पर एवं आधा आवेदन पत्र पर रहे

1. अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम (हिन्दी में).....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में).....

2. पिता का नाम (हिन्दी में).....
   पति का नाम (विवाहित महिला हेतु).....

3. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार) ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
   (DD) (MM) (YYYY)
   (शब्दों में) .....

4. (अ) गृह जनपद का नाम व पता (थाना सहित) .....
   (ब) पत्र व्यवहार का पता (थाना सहित) .....

5. टेलीफोन नम्बर यदि हो (एस0टी0डी0 कोड सहित) .....मोबाइल नम्बर यदि हो.....

6. लिंग कोड (महिला–1 पुरूष–2) ..... ☐

7. जाति कोड (सामान्य–1, अनुसूचित जाति–2, अनुसूचित जनजाति–3, अन्य पिछडा वर्ग–4)..... ☐

8. क्षैतिज आरक्षण कोड {विकलांग दृष्टिबाधित–5, विकलांग श्रवणह्रास–6, विकलांग चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता–7, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित–8, भूतपूर्व सैनिक (स्वयं)–9, महिला–10}..... ☐

9. विषय वर्ग {विज्ञानेत्तर (विज्ञान वर्ग को छोड़कर)–14, विज्ञान–15 अथवा सहायक अध्यापक उर्दू–16} ..... ☐

10. अभ्यर्थी की अध्यापक पात्रता परीक्षा एवं शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता का विवरण:

परीक्षा		बोर्ड एवं विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	अनुक्रमांक	पूर्णांक	प्राप्तांक
हाईस्कूल						
इण्टरमीडिएट						
स्नातक						
परास्नातक (उर्दू)						
बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा)/ डी0एड0(विशेष शिक्षा)	सैद्धान्तिक					
	प्रयोगात्मक					
अध्यापक पात्रता परीक्षा (1 से 5 तक)						

11. बैंक ड्राफ्ट का विवरण (मूल बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें) :–

बैंक एवं शाखा का नाम	बैंक ड्राफ्ट नम्बर तथा दिनांक	बैंक ड्राफ्ट की धनराशि

12. नियुक्ति हेतु जनपद का वरीयता क्रम (कृपया जनपद के सम्मुख कॉलम में वरीयतानुसार 1 से 13 तक अंकों एवं शब्दों में लिखे। उदाहरण के लिए 1 प्रथम, 2 द्वितीय....आदि) :–

क0सं0	जनपद का नाम	वरीयता क्रम		क0सं0	जनपद का नाम	वरीयता क्रम	
		अंकों में	शब्दों में			अंकों में	शब्दों में
1	उत्तरकाशी			8	अल्मोड़ा		
2	चमोली			9	उधमसिंह नगर		
3	रूद्रप्रयाग			10	बागेश्वर		
4	हरिद्वार			11	पिथौरागढ़		
5	पौड़ी गढ़वाल			12	चम्पावत		
6	देहरादून			13	नैनीताल		
7	टिहरी गढ़वाल						

(नोटः सभी जनपदों को वरीयता न दिये जाने की स्थिति में चयन समिति द्वारा आवंटित जनपद मान्य होगा)

13. सेवायोजन कार्यालय व जनपद का नाम.....पंजीकरण/नवीनीकरण संख्या.....
सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण की तिथि.....

14. संलग्नकों का विवरणः– 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है तथा आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व समस्त अंकित विवरण का मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। चयन के पूर्व अथवा बाद में जांचोपरान्त कोई भी विवरण असत्य अथवा गलत पाये जाने पर सम्बन्धित संस्थान/प्राधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व से मेरे पास उपलब्ध है।

दिनांक :

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का पठनीय हस्ताक्षर

निम्नांकित विवरण राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा भरा जायेगा।

1. डाकघर का रजिस्ट्री क्रमांक.....आवेदन पत्र प्राप्ति तिथि.....

2. आवंटित कन्ट्रोल नम्बर .....